एम0एस0एम0ई0 / उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद देहरादून के अन्तर्गत डोईवाला में Centre Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET) की अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2022 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. डा0 पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव, एम0एस0एम0ई0 विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री रोहित मीणा, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनीत कुमार, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री रंजीत सिंह, एस0एस0ओ0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. श्री रबिन्द्र कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– उत्तराखण्ड सरकार के उद्योग विभाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून के डोईवाला में Centre Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET) की अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त निर्माण कार्य से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड एवं समीपवर्ती राज्य के छात्र एवं छात्राओं को Plastic Engineering से सम्बन्धित शिक्षा प्राप्त किये जाने की सुविधा प्राप्त होगी।

   साथ ही Plastic के क्षेत्र में गुणवत्ता परीक्षण, तृतीय पक्ष निरीक्षण, Processing, आधुनिक टूलिंग इत्यादि के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा स्थापित उद्योगों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध होगी।

   पूर्व में दिनांक 31.12.2021 को व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त योजना का रू0 2886.85 लाख की लागत का प्रस्ताव अनुमोदित किया था। वर्तमान में अब प्रशासकीय विभाग द्वारा रू0 4278.55 लाख का आगणन व्यय वित्त समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है।

3. **योजना के अन्तर्गत प्राविधान** :– मुख्य भवन (Admin and Academic Block) को चार मंजिल में निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8021.94 वर्ग मीटर है। भवन में Processing Shop, Testing Lab, VC Room, Board Room, Multipurpose Hall, Director Room, Visitor Room, Store, Placement Room, Exam Control Room, Toturial Room-02No., Lab-05No., Library Room-05No., Training Office, Drawing Room, Class Room-12No., Seminar Hall, Boys and Girls Hostel (1158.30 Each), भवन दो मंजिल में, वाह्य जलापूर्ति एवं विद्युतीकरण, आन्तरिक मार्ग, पार्किंग, चाहरदीवारी, आदि का प्राविधान किया गया है।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमत:–**

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, एम0एस0एम0ई0 / उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12.08.2022 को सम्पन्न हुई जिसमें प्रस्तावित कार्यो के सम्बन्ध में समिति द्वारा सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण की महत्ता एवं तत्कालिकता के दृष्टिगत प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

4.2 निर्माण स्थल का Geo Technical Investigation, M/s Gomti Technical Associate Pvt. Ltd, Lucknow द्वारा किया गया है मिट्टी की SBC 1.50 मीटर गहराई में 9.20 मी0टन प्रति वर्ग मीटर आंकलित की गयी है।

4.3 प्रस्तावित निर्माण कार्य का स्ट्रक्चरल डिजाइन Mr. Akshay Kothiyal, Dehradun द्वारा की गयी है। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरल ड्राइंग का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट कराया जाना आवश्यक है।

4.4 भवन के कुर्सी क्षेत्रफल में संस्थान की आवश्यकतानुरूप 2416.44 वर्ग मीटर में हुई वृद्धि के फलस्वरूप लागत में रू0 1391.70 लाख की वृद्धि हुई है।

4.5 आगणन में दरे एस0ओ0आर0 2021 एवं डी0एस0आर0 2018 की ली गयी है, जो दरें शिड्यूल में उपलब्ध नहीं है बाजार दरों पर आधारित है, बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाय।

4.6 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Particular	DSR	SOR	NSI
1	Total Cost of Work	3675.61	113.05	173.85
2	Add Centage @8%	294.04	8.10	13.90
	Total	**3969.65**	**121.15**	**187.75**
	Grand Total	**4278.55**		

परियोजना की कुल लागत – 4278.55 लाख

5. **<u>व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय</u> :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

एम0एस0एम0ई0 / उद्योग विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में प्रस्तर–4.6 के अनुसार रू0 4278.55 लाख के प्रस्ताव / आगणन **को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया** :–

5.1 भवन के Façade को इस प्रकार बनाया जाय जिससे कि भवन की सुन्दरता में वृद्धि (Iconic) हो।

5.2 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.3 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर **NABL Accredited** प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.4 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.5 आगणन में डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.6 आगणन में दरें एस0ओ0आर0 2021 एवं डी0एस0आर0 2018 की ली गयी है, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है वे बाजार दरों पर आधारित है, बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2017 एवं शासनादेश संख्या–103/XXVIII(7)32/2007टी0सी0–1 दिनांक 21 जुलाई, 2022 के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

5.7 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5.8 योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.9 परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय तथा कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्राविधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय।

5.10 परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद् आदि की Fee में कोई वृद्धि नहीं होगी।

5.11 भवन का कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.11 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(रोहित मीणा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग)
संख्या 1686/एम0एस0एम0ई0/उद्योग विभाग/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2022
देहरादून: दिनांक: 05, नवम्बर, 2022 दिसम्बर

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, एम0एस0एम0ई0/उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, को इस आशय से कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड करें।

(रोहित मीणा)
अपर सचिव